रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2634] नई दिल्ली, सोमवार, नवम्बर 25, 2013/अग्रहायण 4, 1935
No. 2634] NEW DELHI, MONDAY, NOVEMBER 25, 2013/AGRAHAYANA 4, 1935

विद्युत मंत्रालय

आदेश

नई दिल्ली, 22 नवम्बर, 2013

का.आ. 3475(अ).—जबकि मैसर्स जिंदल इंडिया थर्मल पावर लिमिटेड (जेआईटीपीएल), आवेदक जिसका पंजीकृत कार्यालय प्लॉट नंबर-12, सेक्टर बी-1, लोकल शॉपिंग काम्पलेक्स, वसंत कुंज, नई दिल्ली-110070 में है, ने ओडिशा में, जेआईटीपीएल ताप विद्युत केंद्र से 765/400 केवी अंगुल पूलिंग स्टेशन (पीजीसीआईएल) डी/सी लाइन तक समर्पित 400 केवी पारेषण लाइन के निर्माण के लिए विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 164 के अंतर्गत संशोधित अनुमोदन हेतु आवेदन किया है ।

और जबकि भारत सरकार, विद्युत मंत्रालय ने दिनांक 31-7-2009 के पत्र सं. 11/04/2007-पीजी के माध्यम से ओडिशा में, जेआईटीपीएल ताप विद्युत केंद्र से 765/400 केवी अंगुल पूलिंग स्टेशन (पीजीसीआईएल) डी/सी लाइन तक समर्पित 400 केवी पारेषण लाइन स्थापित करने के लिए जिंदल इंडिया थर्मल पावर लिमिटेड को विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 68 के अंतर्गत अनुमोदन प्रदान किया था ।

और जबकि आवेदक ने अब विद्युत अधिनियम, 2003 का धारा 164 के अंतर्गत उसे वे सभी शक्तियां प्रदान करने का अनुरोध किया है जो कार्यों के लिए, सरकार द्वारा स्थापित या रख-रखाव किए गए टेलीग्राफ या इस प्रकार स्थापित या रख-रखाव किए जाने वाले टेलीग्राफ के उद्देश्यों के लिए टेलीग्राफ लाइनें और खम्बे लगाने के संबंध में भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम, 1885 के अतंर्गत टेलीग्राफ प्राधिकरण के पास हैं। मैसर्स जिंदल इंडिया थर्मल पावर लिमिटेड (जेआईटीपीएल) को विद्युत मंत्रालय के दिनांक 20 सितम्बर, 2011 के आदेश के द्वारा विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 164 के अंतर्गत अनुमोदन प्रदान किया गया तथा दिनांक 20 सितम्बर, 2011 के भारत के राजपत्र, असाधारण में प्रकाशित हुआ था । यह अनुमोदन विद्युत मंत्रालय के दिनांक 20-09-2011 के आदेश द्वारा दिए गए तथा दिनांक 20 सितम्बर, 2011 के भारत के राजपत्र, असाधारण में प्रकाशित अनुमोदन के अधिक्रमण में है । स्कीम के अंतर्गत शामिल पारेषण लाइन निम्नलिखित गांवों, नगरों और शहरों से, उनके ऊपर से, उनके आसपास से तथा उनके बीच में से गुजरेगी :—

क्रम सं.	गांव का नाम	तहसील	जिला
1.	फुलपाड़ा	अंगुल	अंगुल
2.	गिरिडी बासिया	बनरपल	अंगुल
3.	तिलपंगा	बनरपल	अंगुल
4.	गुरियामुंडा	बनरपल	अंगुल
5.	दुर्गाप्रसादपुर	बनरपल	अंगुल
6.	कांसारा	हिंदोल	ढेंकानल
7.	भेरूबनिया	अंगुल	अंगुल
8.	हमामिरा	अंगुल	अंगुल
9.	बेड़ा सशान	अंगुल	अंगुल
10.	खिंदा गोविंदपुर	अंगुल	अंगुल
11.	खिंदा	अंगुल	अंगुल
12.	कलईपाड़ा	अंगुल	अंगुल
13.	बरगौनिया	अंगुल	अंगुल
14.	बानतला	अंगुल	अंगुल
15.	खलागन	अंगुल	अंगुल
16.	संखपुर	अंगुल	अंगुल
17.	मानापुर	अंगुल	अंगुल
18.	लच्छाबंध	अंगुल	अंगुल
19.	धुकुता	अंगुल	अंगुल
20.	रूगुडियापाड़ा	अंगुल	अंगुल
21.	तुमुनी	अंगुल	अंगुल
22.	बड़ाकेरा	अंगुल	अंगुल
23.	जोकुब	अंगुल	अंगुल
24.	डेयरजंग	अंगुल	अंगुल
25.	मधियामुंडा	अंगुल	अंगुल
26.	टुबे	अंगुल	अंगुल
27.	कुलई	अंगुल	अंगुल
28.	मरातिरा	अंगुल	अंगुल
29.	दुधियाबेड़ा	अंगुल	अंगुल
30.	जारादा	अंगुल	अंगुल
31.	परिपाड़ा	अंगुल	अंगुल
32.	साना जामुड़ा	अंगुल	अंगुल
33.	जामुंडा	अंगुल	अंगुल
34.	डनेईनाली	अंगुल	अंगुल
35.	टुकुडा	चेंदीपाड़ा	अंगुल
36.	जरापदा	चेंदीपाड़ा	अंगुल
37.	जरापदा जंगल	चेंदीपाड़ा	अंगुल
38.	दुर्गापुर टंगरीसई	चेंदीपाड़ा	अंगुल
39.	दुर्गापुर	चेंदीपाड़ा	अंगुल
40.	कोराड़ा	चेंदीपाड़ा	अंगुल

41.	पुतगडिया	चेंदीपाड़ा	अंगुल
42.	झिनतीपाल	चेंदीपाड़ा	अंगुल
43.	बारापदा	चेंदीपाड़ा	अंगुल
44.	कोशाला	चेंदीपाड़ा	अंगुल
45.	बिश्वनाथपुर	चेंदीपाड़ा	अंगुल
46.	ब्रह्मनबिल	चेंदीपाड़ा	अंगुल
47.	खजुरीखई	चेंदीपाड़ा	अंगुल
48.	संतराबंध	चेंदीपाड़ा	अंगुल
49.	देवीपटनापुर	कनिहा	अंगुल
50.	काकुड़िया	कनिहा	अंगुल
51.	डेरांग	कनिहा	अंगुल

इसलिए अब सावधानीपूर्वक विचार करने के पश्चात् **भारत सरकार, विद्युत मंत्रालय, विद्युत अधिनियम**, 2003 **की धारा** 164 **के अंतर्गत, आवेदक को वे सभी शक्तियां प्रदान करता है जो विद्युत के अन्तर्राज्यीय पारेषण हेतु ऊपर उल्लिखित अन्तर्राज्यीय पारेषण लाइनों की संस्थापना के लिए** निम्नलिखित **निबंधनों एवं शर्तों के अधीन सरकार द्वारा स्थापित या रख-रखाव किए गए टेलीग्राफ या इस प्रकार स्थापित अथवा रख-रखाव किए जाने वाले टेलीग्राफ के उद्देश्यों के लिए टेलीग्राफ लाइनें और खम्बों को लगाने के संबंध में भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम**, 1885 **के अंतर्गत टेलीग्राफ प्राधिकरण के पास होती है;** अर्थात् :—

i. **अनुमोदन** 25 **वर्ष के लिए प्रदान किया जाता है**;

ii. **आवेदक को प्रस्तावित लाइनों के निर्माण से पूर्व संबंधित प्राधिकरणों** अर्थात् **स्थानीय निकायों, रेलवे, राष्ट्रीय राजमार्गों, राज्य राजमार्गों आदि की** सहमति **प्राप्त करनी होगी** ;

iii. **आवेदक को पारेषण, ओएंडएम, खुली पहुँच आदि के संबंध में उपयुक्त आयोग के विनियमों/संहिताओं का पालन करना होगा** ;

iv. **आवेदक को ओडिशा में, जेआईटीपीएल ताप विद्युत केंद्र से** 765/400 **केवी अंगुल पूलिंग केंद्र (पीजीसीआईएल) तक समर्पित** 400 **केवी डी/सी पारेषण लाइन के निर्माण का दायित्व सौंपा गया है। कार्यों का ब्यौरा** 1 **जून-**7 **जून**, 2013 **के भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया गया है** ;

v. **आवेदक संबंधित राज्यों के मुख्य वैद्युत निरीक्षक के अनुमोदन के** पश्चात् **लाइनों का प्रचालन करेगा** ;

vi. **अनुमोदन आवेदक द्वारा विद्युत अधिनियम**, 2003 **के प्रावधानों और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों की मांग के** अनुपालना **के अधीन है** ।

[**फा. सं**. 11/35/2010-**पीजी**]

रीता आचार्य, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF POWER

ORDER

New Delhi, the 22nd November, 2013

S.O. 3475(E).—Whereas M/s. Jindal India Thermal Power Limited (JITPL), the applicant with its Registered Office at Plot No. 12, Sector B-1, Local Shopping Complex, Vasant Kunj, New Delhi-110070, has applied for revised approval under Section 164 of the Electricity Act, 2003 for construction of dedicated 400kV transmission line from JITPL Thermal Power Station to 765/400kV Angul pooling station (PGCIL) D/C line in Odissa.

And whereas Government of India, Ministry of Power vide letter No. 11/4/2007-PG dated 31-7-2009 had granted to Jindal India Thermal Power Limited, approval under Section 68 of the Electricity Act, 2003 for laying the dedicated 400kV transmission line from JITPL Thermal Power Station to 765/400kV Angul pooling station (PGCIL) D/C line in Odissa.

And whereas the applicant has now requested to confer upon him all the powers under Section 164 of the Electricity Act, 2003 which telegraph authority possess under the Indian Telegraph Act, 1885 with respect to the placing of telegraph lines and posts for the purposes of a telegraph established or maintained, by the Government or to be so established or maintained for the works. Approval under Section 164 of Electricity Act, 2003 was accorded to M/s. Jindal India Thermal Power Limited (JITPL) vide Ministry of Power, Order dated 20-09-2011 and was published in The Gazette of India, Extraordinary dated September 20, 2011. This approval is in supersession to the approval accorded vide Ministry of Power, Order dated 20-09-2011 and was published in The Gazette of India, Extraordinary dated September 20, 2011. The transmission line covered under the scheme will pass through, over, around and between the following villages, towns and cities :—

Sl. No.	Name of the Villages	Tehsil	District
01	Phulpara	Angul	Angul
02	Giridibasia	Banarapal	Angul
03	Tilapanga	Banarapal	Angul
04	Guriamunda	Banarapal	Angul
05	Durgaprasadpur	Banarapal	Angul
06	Kansara	Hindol	Dhenkanal
07	Bherubania	Angul	Angul
08	Hamamira	Angul	Angul
09	Beda Sashan	Angul	Angul
10	Khinda Gobindpur	Angul	Angul
11	Khinda	Angul	Angul
12	Kaleipada	Angul	Angul
13	Bargounda	Angul	Angul
14	Bantala	Angul	Angul
15	Khalagan	Angul	Angul
16	Sankhapur	Angul	Angul
17	Manapur	Angul	Angul
18	Lachabandh	Angul	Angul
19	Dhukuta	Angul	Angul
20	Rugudiapara	Angul	Angul
21	Tumuni	Angul	Angul
22	Badakera	Angul	Angul
23	Jokub	Angul	Angul

24	Derajung	Angul	Angul
25	Madhiamunda	Angul	Angul
26	Tubey	Angul	Angul
27	Kulei	Angul	Angul
28	Maratira	Angul	Angul
29	Dhudhiabeda	Angul	Angul
30	Jarada	Angul	Angul
31	Paripara	Angul	Angul
32	Sana Jamunda	Angul	Angul
33	Jamunda	Angul	Angul
34	Daneinali	Angul	Angul
35	Tukuda	Chendipada	Angul
36	Jarapada	Chendipada	Angul
37	Jarapada Jungle	Chendipada	Angul
38	Durgapur Tangarisai	Chendipada	Angul
39	Durgapur	Chendipada	Angul
40	Korada	Chendipada	Angul
41	Putagadia	Chendipada	Angul
42	Jhintipal	Chendipada	Angul
43	Barapada	Chendipada	Angul
44	Koshala	Chendipada	Angul
45	Biswanathpur	Chendipada	Angul
46	Brahmanabil	Chendipada	Angul
47	Khajurikhai	Chendipada	Angul
48	Santrabandh	Chendipada	Angul
49	Debipatnapur	Kaniha	Angul
50	Kakudia	Kaniha	Angul
51	Derang	Kaniha	Angul

Now, therefore, after careful consideration, Government of India, Ministry of Power, confers, under Section 164 of the Electricity Act, 2003, all the powers on the applicant which telegraph authority possesses under the Indian Telegraph Act, 1885 with respect to the placing of telegraph lines and posts for the purposes of a telegraph established or maintained by the Government or to be so established or maintained subject to following terms and conditions for installing the above mentioned transmission lines for inter-state transmission of electricity, namely :—

(i) the approval is granted for 25 years;

(ii) the Applicant shall have to seek the consent of the concerned authorities i.e. local bodies, Railways, National Highways, State Highways etc. before erection of proposed lines;

(iii) the Applicant shall have to follow regulations/codes of the appropriate commission regarding transmission, O&M, open access etc;

(iv) the Applicant has been entrusted with the responsibility of construction of dedicated 400kV D/C transmission line from JITPL Thermal Power Station to 765/400kV Angul pooling station (PGCIL) in Odissa. The details of the works are published in the Gazette of India of June 1–June 7, 2013.

(v) the Applicant shall operate the lines after approval of Chief Electrical Inspector of respective States;

(vi) the approval is subject to compliance by the Applicant of the requirement of the provisions of The Electricity Act, 2003 and the rules made thereunder.

[F. No. 11/35/2010-PG]

RITA ACHARYA, Jt. Secy.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.